फैक्स
ई-मेल
निबंधित

पत्रांक–4 / क्षे0 स्था0 (विविध) जन0, जमुई–51 / 2014–.....1117 (9) / रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार झा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
जमुई।

पटना–15, दिनांक–27-11-14

विषय :– जनगणना 1991 के छटनीग्रस्त कर्मियों को राज्य सरकार की सेवा में समायोजित करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–648 / स्था0, दिनांक–30.09.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि राजस्व विभागीय संकल्प–283(4) / रा0, दिनांक–19.06.13 द्वारा जनगणना 1991 के छटनीग्रस्त कर्मियों के समायोजन करने के सम्बन्ध में निर्णय संसूचित किया गया है। जनगणना निदेशालय, पटना के पत्रांक–4254, दिनांक–07.12.92 में निहित प्रावधानानुसार जनगणना, 1991 के छटनीग्रस्त कर्मियों को छटनी के पश्चात् छटनी–सह–आचरण प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें योगदान करने एवं छटनी होने की तिथि अंकित है तथा स्पष्ट किया गया है कि छटनीग्रस्त कर्मियों की श्रेणी में वैसे कर्मियों को रखा जाए जिन्होंने जनगणना कार्यालयों में निरन्तर 6 महीने या उससे अधिक की सेवा की हो। जनगणना निदेशालय द्वारा निर्गत छटनी–सह–आचरण प्रमाण पत्र में अंकित योगदान तिथि तथा छटनी तिथि के आधार पर आसानी से कार्य अवधि की गणना की जा सकती है कि कर्मी की सेवा अवधि 6 महीने या उससे अधिक की है या नहीं? कर्मी की जन्म तिथि उनके मैट्रिक प्रमाण पत्र में दर्ज होता है। इसके आधार पर जनगणना में नियुक्ति के समय उम्र क्या थी और उस समय सरकारी सेवा के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु क्या थी, इसकी गणना कर आसानी से नियुक्ति के दिन उम्र निर्धारित सीमा के अंदर थी या नहीं के आधार पर गणना की जा सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए आयु सीमा निर्धारित की जाती रही है। शेष, विभागीय संकल्प–283(4) / रा0, दिनांक–19.06.13 में दिए गये प्रावधानानुसार जनगणना 1991 के छटनीग्रस्त कर्मियों के सम्बन्ध में कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

(विनोद कुमार झा),
सरकार के अपर सचिव।
27-11

D:\Sec.4\Rev 2014\Nov & Dece\Letter\File No. Vivid-Jan. Jamui-51-2014 - 19-11-2014.docx